भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-969

उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्कूल छोड़ने वाले बच्चे

969. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं का प्रतिशत कितना है;
(ख) कक्षा 8 से 12 तक के बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों का राजस्थान सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए स्कूल शिक्षा के संकेतकों के संबंध में डेटा अभिलेखित करने के लिए शिक्षा प्लस (यूडाइज+) प्रणाली के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली विकसित की गई है। यूडाइज + 2023-24 के अनुसार, राजस्थान में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और छात्राओं की स्कूल छोड़ने की दर नीचे दी गई है:

स्कूल छोड़ने की दर **(प्राथमिक)**				
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	स्कूल छोड़ने की दर (एससी)	स्कूल छोड़ने की दर (एसटी)	स्कूल छोड़ने की दर (ओबीसी)	स्कूल छोड़ने की दर **(छात्राएं)**
राजस्थान	6.8	6.9	8.2	7

स्कूल छोड़ने की दर **(उच्च प्राथमिक)**				
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	स्कूल छोड़ने की दर (एससी)	स्कूल छोड़ने की दर (एसटी)	स्कूल छोड़ने की दर (ओबीसी)	स्कूल छोड़ने की दर **(छात्राएं)**
राजस्थान	7.5	8.0	6.7	6.4

स्कूल छोड़ने की दर **(माध्यमिक)**				
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	स्कूल छोड़ने की दर (एससी)	स्कूल छोड़ने की ट दर (एसटी)	स्कूल छोड़ने की दर (ओबीसी)	स्कूल छोड़ने की दर **(छात्राएं)**
राजस्थान	12.7	12.5	11.1	9.7

(ख): कक्षा 8 से 12 तक स्कूल छोड़ने की दरों का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक में है.

(ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 में स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं तक का पूरा दायरा शामिल है। इस योजना को एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ भी जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर और स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) की संख्या को कम करना है। इस योजना में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने और उन्हें मजबूत बनाने; स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण; कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन; नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना; निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन और प्रतिधारण अभियान चलाने का प्रावधान शामिल है।

इसके अलावा, स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु-अनुरूप प्रवेश तथा आवासीय और गैर-आवासीय बड़े बच्चों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा संरचना में लाने के लिए मौसमी छात्रावासों या आवासीय शिविरों, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, परिवहन/अनुरक्षण सुविधा का प्रावधान भी उपलब्ध है।

इसके अलावा, योजना के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र-उन्मुख घटक के अंतर्गत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन के लिए वित्तीय सहायता, सहायक उपकरण, ब्रेल किट और पुस्तकें, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और विकलांग छात्राओं को वजीफा आदि प्रदान किया जाता है।

मध्यान्ह भोजन विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर छात्रों के लिए अपनाई गई एक अन्य पहल है। इसी तरह, राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने से रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

इस विभाग ने प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहचाने गए स्कूल से बाहर के बच्चों (ओओएससी) के आंकड़ों को संकलित करने और उन्हें प्रबंध पोर्टल (http://samagrashiksha.in) पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के साथ मैप करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी विकसित किया है। संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र ओओएससी को मुख्यधारा में लाने की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य के संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र द्वारा अपलोड की गई पहचान की गई ओओएससी और एसटीसी की बालक-वार जानकारी को वैधीकृत करता है। इसके अलावा, आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधान के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) में अध्ययन करने वाले स्कूल से बाहर के बच्चों के अधिगम अंतराल को कम करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा ब्रिज कोर्स मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

******

अनुलग्नक

"राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्कूल छोड़ने वाले बच्चे" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा पूछे गए दिनांक 10.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 969 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कक्षा 8 से 12 तक 2023-24 तक स्कूल छोड़ने की दर का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	स्कूल छोड़ने की दर (कक्षा 8 से कक्षा 12)
भारत	11.9
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.2
आंध्र प्रदेश	7.7
अरुणाचल प्रदेश	15.2
असम	18.5
बिहार	36.6
चंडीगढ़	4.2
छत्तीसगढ	14.3
दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	12.8
दिल्ली	8.3
गोवा	6.2
गुजरात	14.3
हरियाणा	11.1
हिमाचल प्रदेश	3.9
जम्मू एवं कश्मीर	13.9
झारखंड	16.1
कर्नाटक	14.3
केरल	1.4
लद्दाख	16.5
लक्षद्वीप	1.3
मध्य प्रदेश	15.8
महाराष्ट्र	6.1
मणिपुर	11.7
मेघालय	19.8
मिजोरम	11.2
नागालैंड	9.5
ओडिशा	8.2
पुदुचेरी	4.8
पंजाब	5.1
राजस्थान	9.9
सिक्किम	12.6
तमिलनाडु	3.6
तेलंगाना	6.0
त्रिपुरा	8.9
उत्तर प्रदेश	9.8
उत्तराखंड	6.1
पश्चिम बंगाल	5.7

स्रोत :यूडाइज+ *2023-24*

*****